
गांधी दर्शन में ग्राम स्वराज की राजनीतिक अवधारण-

डॉ० दुलारी राम मीना

सह-आचार्य (राजनीति विज्ञान)

राजकीय महाविद्यालय खण्डार,स०मा० (राज०)

महात्मा गाँधी दार्शनिक अराजकतावादी है, अतः वे आदर्श स्थिति 'राज्यविहीन समाज' को मानते हैं परन्तु यह लक्ष्य प्राप्त करना असंभव होने के कारण, इन्होंने इसे केवल एक आदर्श के रूप में ही स्वीकार किया है।

उन्होंने ऐसा उप-आदर्श हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया, जिसे प्राप्त करना सम्भव है, जो मूलतः अहिंसा पर आधारित है, इसे गाँधी जी, विकेन्द्रित ग्राम- स्वराज्य' कहते हैं। इस लक्ष्य को भी कमिक सुधारों तथा लोगों के दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन लाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। राज्य की सत्ता सेवक के रूप में होगी।¹

1. शासकीय संरचना:-आदर्श लोकतान्त्रिक व्यवस्था को गाँधी जी ने ग्राम स्वराज्य की संज्ञा दी है। उन्होंने गाँव को राजनीतिक व्यवस्था की स्वायत्त और आत्म-निर्भर ईकाई बनाने पर बल दिया है। उन्होंने कल्पना की कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकेन्द्रीकरण और आत्मनिर्भरता इस व्यवस्था के आधार होंगे।² इस व्यवस्था में ग्राम अपनी आर्थिक और राजनीतिक विकेन्द्रीकरण और आत्म निर्भरता इस व्यवस्था के आधार होंगे तथा अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने ही साधन अपनायेगा तथा अपनी सुरक्षा के लिये यथासंभव बाहरी सहायता को अपने साधनों से ही पूरा करेगा। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं होगा कि उसका दूसरा गाँवों से कोई संबंध नहीं होगा। ये स्वायत्त, स्वशासी और आत्मनिर्भर ग्राम, अपनी उन आवश्यकताओं के लिये जिनकी पूर्ति ग्राम में की ही नहीं जा सकती, दूसरे ऐसे ही ग्राम राज्यों के

स्वैच्छिक सहयोग पर निर्भर करेंगे किन्तु स्वयं भी अन्य ग्रामों को ऐसा सहयोग उपलब्ध कराने के लिये सदैव तत्पर रहेंगे।

एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में देश ऐसे स्वतंत्र ग्राम स्वराज्यों का एक संघ होगा ग्राम स्वराज्यों के एक संघ के रूप में भारत के राजनीतिक ढांचे को स्पष्ट करते हुए गॉंधी जी ने कहा कि - ” भारत में सात लाख गाँव हैं। प्रत्येक गाँव को उसके निवासियों की ईच्छा के अनुसार संगठित किया जायेगा। ग्राम, जिला प्रशासन के लिये प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। इस चुनाव में प्रत्येक गाँव का एक वोट होगा। जिलों के प्रतिनिधि प्रान्तीय प्रशासन का निर्वाचन करेंगे और प्रान्तीय प्रतिनिधि राष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे जो कि राष्ट्र का कार्यकारी होगा।”³

व्यवहारिक दृष्टि से समाज में शांति एवं व्यवस्था की स्थापना के लिये राज्य की उपस्थिति आवश्यक है परन्तु हिंसा पर आधारित होने के कारण इसे एक आवश्यक बुराई के रूप में ही स्वीकार किया है। व्यक्ति के नैतिक विकास की दृष्टि से यह आवश्यक है कि राज्य की शक्ति और प्रभाव को सीमित कर दिया गया है। यदि राज्य अनैतिकता का समर्थक बन जाए, तो व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह ऐसे राज्य के प्रति अपनी निष्ठा का अन्त कर दें और उसके प्रति अहिंसात्मक असहयोग या सविनय अवज्ञा के द्वारा अपना विरोध प्रकट करें। राज्य का सर्वोत्तम लक्ष्य जनकल्याण है।

उपरोक्त व्यवस्था में प्रान्तीय और राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्थापिकाएँ और कार्यपालिकाएँ केन्द्रीकृत शक्ति का प्रयोग नहीं करेगी। क्योंकि वास्तविक विधायी और कार्य-पालिका शक्तियाँ तो ग्रामों और जिलों के स्तर पर प्रयुक्त की जायेगी। ये संस्थाएँ तो केवल ऐसे अवशिष्ट विषयों में हस्तक्षेप करेगी, जो ग्राम गणराज्यों के मध्य समन्वय के लिए आवश्यक हो अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों से सम्बन्धित हो। ये

व्यवस्थापिका भी अपनी शक्ति की श्रोत स्वयं नहीं होगी, अपितु अपनी शक्तियाँ निचले स्तरों से प्राप्त करेगी तथा ये शक्तियाँ जनता में निहित रहेगी।

इस व्यवस्था में उत्कृष्ट नैतिकता नागरिकों के व्यवहार व विचारों को प्रेरित करेगी। धर्म से निर्दिष्ट होने के कारण प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों से अधिक अपने सामाजिक दायित्वों को महत्व प्रदान करेगा। गाँधी जी ने कहा-”यह समाज के भीतर एक वृत्त का एक समूह होगा और सबसे भीतर के वृत्त के केन्द्र में व्यक्ति रहेगा। जो अपने निकटवर्ती वृत्त अर्थात् ग्राम के हित में त्याग करने के लिये तैयार रहेगा। यह ग्राम अपने निकटस्थ वृत्त अर्थात् कुछ ग्रामों के समूह के लिए त्याग करने को तत्पर रहेगा और अन्त में इसमें अर्न्तव्याप्त लोककल्याण की भावना ऐसे मनुष्यों की विराट समष्टि में विलीन हो जायेगी जो अहंकारी नहीं अपितु विनीत होंगे।”

गाँधी जी ने राजनीतिक शक्ति के केन्द्रीकरण को हिंसा की संज्ञा दी। उन्होंने प्रतिपादित किया कि एक विकेन्द्रित राजनीतिक प्रणाली ही अहिंसा के आदर्श के अनुरूप मानी जा सकती है। आदर्श लोकतान्त्रिक व्यवस्था को गाँधी जी ने ग्राम स्वराज्य की संज्ञा दी। उन्होंने ग्राम को राजनीतिक व्यवस्था की स्वायत्त और आत्मनिर्भर इकाई बनाने पर बल दिया। उन्होंने कल्पना की कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकेन्द्रीकरण और आत्मनिर्भरता इस व्यवस्था के आधार होंगे।

गाँधी जी ने राजनीतिक ग्राम स्वराज्य का विचार उनके राज्य रहित लोकतन्त्र के आदर्श के समीप पहुँचता है। वे उस राज्य को श्रेष्ठ मानते हैं जो कम से कम शासन करता है।⁴ महात्मा गाँधी व्यावहारिक आदर्शवादी थे, वे राज्य रहित लोकतन्त्र के आदर्श की व्यावहारिक उपयोगिता समझते थे, वे इसलिए उन्होंने ग्राम स्वराज्य का विचार प्रस्तुत किया। ग्राम-स्वराज्य में राज्यों का अन्त नहीं होता, परन्तु राज्य का

विकेन्द्रीकरण होता है। इस प्रकार ग्राम स्वराज्य एक ऐसा आदर्श है जिसे सिद्ध किया जा सकता है- ” वह राज्य के अन्त जैसा बहुत दूर का लक्ष्य नहीं।”

एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में देश ऐसे स्वतन्त्र ग्राम गणराज्यों का एक संघ होगा। गाँधी जी ने अनुभव किया कि विकेन्द्रीकृत ग्राम स्वराज्य की संकल्पना की क्रियावृत्ति के लिए क्रमिक सुधारों तथा जनता के दृष्टिकोण में क्रान्तिकारी परिवर्तन की आवश्यकता होगी।

गाँधी जी भारत में सच्चे लोकतन्त्र की स्थापना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कहा था- ” सच्चा लोकतन्त्र केन्द्र में बैठे बीस व्यक्तियों द्वारा नहीं चलाया जा सकता उसे प्रत्येक गाँव के लोगों के नीचे से चलाना होगा। ग्राम स्वराज्य ने ग्राम पूर्ण सत्तार्ये भोगने वाला एक विकेन्द्रीत राजनीतिक घटक होगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का सरकार अथवा शासन से सीधा सम्बन्ध होगा। गाँव का शासन चलाने के लिये प्रत्येक वर्ष गाँव के पाँच व्यक्तियों की

एक पंचायत चुनी जायेगी। दूसरे के लिए एक अल्पमत निर्धारित योग्यता वाले गाँव के वयस्क स्त्री-पुरुषों को अपने पंच चुनने का अधिकार होगा। इस पंचायत को सब प्रकार की आवश्यक सत्तार्ये और अधिकार प्राप्त होंगे। इस ग्राम स्वराज्य में दण्ड की कोई व्यवस्था नहीं होगी, इसलिए यह पंचायत धारा सभा, न्याय सभा और व्यवस्थापिका सभा तीनों कार्य संयुक्त रूप में करेगी।”

ऐसी शासन पद्धति में नागरिक सत्ता द्वारा नियन्त्रित न होकर स्वयं नियन्त्रित होंगे। नागरिक प्रत्येक कार्य अपनी सूझबूझ से करेगें और जीवन की सारी बातों के लिए सरकार की ओर ताकने वाले न होकर उत्तरदायित्व की उच्च विकसित भावना रखने वाले होंगे।

अतः राजनीतिक प्रणाली को तत्काल विकेन्द्रीकरण के इस आदर्श के अनुरूप नहीं बला जा सकता।

इस प्रकार गाँधी की कल्पना का ग्राम स्वराज्य एक सच्चा और शक्तिशाली लोकतन्त्र है, जो आज की शासन पद्धतियों के साथ जुड़ी हुयी अनेक राजनीतिक बुराईयों का रामबाण इलाज है। ऐसा सच्चा विकेन्द्रित लोकतन्त्र सम्पूर्ण मानव जाति के लिए उद्धार संदेश देने वाला होगा।

गाँधी जी की मान्यता है कि जब व्यक्ति अपने जीवन में अहिंसा के आदर्श को पूर्णतः चरितार्थ कर लेगा और स्वयं को परम सत्य के प्रति समर्पित कर लेगा तो उसका उत्कृष्ट विवेक और जाग्रत अन्तरात्मा उसके सारे व्यवहार को ऐसे नैतिक प्रभाव से आच्छादित कर लेंगे कि उसके आचरण पर बाहरी नियन्त्रण अनावश्यक और निरर्थक हो जायेगे।

ऐसी अवस्था में व्यक्ति अपना शासन स्वयं हो जाएगा। किन्तु स्वयं पर उसका शासन अन्य लोगो के लिए बाधक बन ही नहीं सकेगा, क्योंकि अपनी अन्तरात्मा से निर्दिष्ट होने के कारण व्यक्ति तो समुदाय के हितों के प्रति पूर्ण समर्पण को अपने जीवन का लक्ष्य मान लेगा। अपनी अन्तरात्मा से शासित व्यक्ति, मनुष्य मात्र के साथ अपनी आध्यात्मिक एकता को पूरी तरह आत्मसात कर लेगा और दूसरों के हितों के लिए अपने हितों ओर व्यक्तित्व तक का बलिदान कर देने की तत्परता को ही स्वयं के कल्याण के रूप में परिभाषित कर लेगा। अतः गाँधी जी की परिकल्पना की यह आदर्श राजनीतिक व्यवस्था, एक 'आत्मनिर्भर स्वशासी व्यक्ति' है।

गाँधी जी की दृष्टि में राजनीतिक सत्ता अपने आप मे कोई साध्य नहीं थी,परन्तु लोगों के लिये जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी स्थिति सुधारने की क्षमता प्राप्त करने

का एक साधन मात्र थी। इसलिए अपने प्रसिद्ध 'वसीयतनामे' में गाँधी ने कहा था कि " भारत ने राजनीतिक स्वतन्त्रता तो प्राप्त कर ली है, लेकिन उसे अभी शहरो ओर कस्बो से भिन्न अपने सात लाख गाँवो के लिये सामाजिक, आर्थिक और नैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करना अभी शेष है।"

उसी 'वसीयतनामे' में ग्राम स्वराज्य अथवा पंचायत राज का चित्र और कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है, जो सम्पूर्ण राजनीतिक सत्ता भोगने वाला एक अहिंसक, स्वावलम्बी और स्वयं पूर्ण आर्थिक घटक है। गाँधी जी का ग्राम स्वराज्य मानव केन्द्रित है।

गाँधी जी के अनुसार- हिंसा और दमन कभी भी एक लोकतान्त्रिक व्यवस्था का आधार नहीं बन सकते। उनका मत है कि वास्तविक लोकतन्त्र को जीवन के उच्चतर मूल्यों से अनुप्राणित होना चाहिये। उन्होंने कहा- "संवैधानिक और लोकतांत्रिक शासन तब तक एक दिवास्वप्न है, जब तक कि अहिंसा को शासन व्यवस्था की मूल शक्ति और अक्षुण्ण आस्था नहीं बनाया जा सकता।"

गाँधी जी ऐसी लोकतान्त्रिक पद्धति पर बल दिया, जिसमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के वर्गीकरण असंगत हो जाएं और राजनीतिक संस्थाएँ एक साथ सबके हितों को सुनिश्चित कर सकें। गाँधी जी के अनुसार 'सच्चा लोकतंत्र' तो वह है जिसमें 'सर्वोदय' शासन के पवित्र उद्देश्य के रूप में प्रतिष्ठित हो।⁵

आदर्श गाँव:-आदर्श गाँव भारत में इस तरह से बसाया और बनाया जाना चाहिये। जिससे वह सम्पूर्णतया नीरोग रह सकें। उसके झोंपड़ी और मकानों में काफी प्रकाश और वायु आ-जा सकें। ये ऐसी चीजों से बने हो तो पाँच मील की सीमा के अन्दर उपलब्ध हो सकती है। इस मकान के आस-पास इतना बड़ा आँगन हो, जिसमें

गृहस्थ अपने लिए साग-सब्जी लगा सकें। सबके लिए प्रार्थना घर या मंदिर हो, सार्वजनिक सभा आदि के लिये एक अलग स्थान हो, गाँव की अपनी गोचर-भूमि हो, सहकारी ढंग की एक गौशाला हो, ऐसी प्राथमिक और माध्यमिक शालाएँ हो जिनमें औद्योगिक शिक्षा सर्वे प्रधान वस्तु हो और गाँव के अपने मामलों का निपटारा करने के लिए एक ग्राम पंचायत भी हो। अपनी

आवश्यकता भर अनाज, साग-सब्जी, फल, खादी आदि सभी गाँव में उत्पादित हो। यही गाँधी जी का आदर्श गाँव है।

गाँधी जी की कल्पना में देहात या शहरी किसी प्रकार का भेद नहीं होगा। तथा सभी शुद्ध एवं जागृत चेतना युक्त होंगे। गाँव की सफाई व्यवस्था स्वयं पर निर्भर करेगी वहाँ हैजा, प्लेग, चेचक जैसी महामारियाँ फैलेगी। सभी शारीरिक श्रम करेंगे, किसी प्रकार का ऐशो-आराम नहीं करेंगे।⁶

गाँधी जी ने आदर्श ग्राम समुदायों का भी अपने लेखों में संक्षिप्त वर्णन किया। उन्होंने लिखा कि प्रत्येक गाँव पूरे अधिकारों से सम्पन्न एक पंचायत या जनतन्त्र होगा। प्रत्येक गाँव स्वावलम्बी होगा और इस योग्य होगा कि वह अपने मामलों का प्रबन्ध यहाँ तक कर सकें कि सम्पूर्ण संसार से अपनी रक्षा भी वह स्वयं कर लें। बाहरी आक्रमण के विरुद्ध अपनी रक्षा करने के प्रयत्न में उसे मरने की शिक्षा मिलेगी और वह इसके लिए तैयार रहेगा। अगणित ग्रामों से निर्मित इस सामाजिक संगठन में व्यक्ति ग्राम के लिए और ग्राम-ग्राम-समुदायों के लिए मरने को तैयार रहेगा। इस प्रकार सम्पूर्ण संगठन में व्यक्तियों से विनिर्मित एक समग्रता होगी। इन ग्राम-समाजों का प्रत्येक कार्य यथासंभव सहकारिता के अनुसार होगा। अपरिग्रह तथा शरीर श्रम के आदर्शों पर प्रतिष्ठित यह समाज कृषि प्रधान होगा और सभ्यता को अपनाएगा। शोषण

और पूंजीवाद तथा मालिक-नौकर के कृत्रिम सम्बन्धों का अभाव होगा। उत्पादन ग्रामीण उद्योग धन्धों द्वारा होगा। बड़े-बड़े कारखाने नहीं होंगे। लेकिन ऐसे सादे औजारों और मशीनों का स्वागत होगा जो बिना बेकारी बढ़ाये लाखों ग्रामीणों के बोझ को हल करते हैं और जिनको गाँवों के निवासी बना सकते हैं और काम में ला सकते हैं।

7

अहिंसक मनुष्यों में गम्भीर झगड़े ही बहुत कम होंगे और जो होंगे भी तो इनका निपटारा आपसी विवेचना से तथा समझाने-बुझाने से कभी-कभी पंचायतों से और यदि ये साधन काफी न हों तो अहिंसक प्रतिरोध से हो जायेगा। जीवन सरल, प्राकृतिक और संयमित होने से आज के अनेक रोगों का नाम भी नहीं रहेगा और जो छोटी-छोटी बीमारियाँ रह जायेगी। उनके इलाज के लिए प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियाँ होंगी।

इस प्रकार गाँधी का ग्राम स्वराज्य ऐसा पूर्ण प्रजातंत्र होगा जो अपनी महत्व की जरूरतों के लिए अपने पड़ोसी पर भी निर्भर नहीं करेगा और फिर भी बहुत सी जरूरतों के लिए दूसरों का सहयोग अनिवार्य होगा। उसमें वह परस्पर सहयोग से काम लेगा। इस प्रकार प्रत्येक ग्राम का यह कार्य होगा कि वह अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति अपने ग्राम स्तर पर ही कर सके।

संदर्भ:-

1. रामनाथ 'सुमन' : गाँधीवाद की रूपरेखा, पृष्ठ 73
2. आचार्य कृपलानी: महात्मा गाँधी पृष्ठ 86
3. कलैक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गाँधी: खण्ड 76, पृष्ठ 437
4. एम.के.गाँधी: हरिजन सेवक 25 जुलाई 1946
5. गाँव-गाँव में स्वराज्य: अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ प्रकाशन, ले. विनोबा, पृष्ठ 17
6. मोहनदास करमचन्द गाँधी: यंग इण्डिया, 13 दिसम्बर 1924, पृष्ठ 378
7. एम.के.गाँधी: हरिजन, पृष्ठ 343